UPSR040154232022

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (श्रीमती करुणा सिंह) - उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP01667

क्रिमिनल मिस/1598/2022

शिव कुमारी बनाम. बालकराम

दिनांक 05.01.2023

पत्रावली पेश हुयी। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० आवेदिका शिवकुमारी की ओर से विपक्षी बालकराम व अन्य के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रा० पत्र में वर्णित घटना के सम्बन्ध में विपक्षीगण के विरूद्ध थाने पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किया जाये।

आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदिका की ओर से स्वयं का शपथ पत्र तथा फेहरिस्त से रजिस्ट्री रसीदी, पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति तथा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है।

प्रार्थना पत्र के संदर्भ में थाना स्थानीय से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्यानुसार आवेदन पत्र में वर्णित प्रकरण के सम्बन्ध में थाने पर कोइ अभियोग पंजीकृत न होने का उल्लेख किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

आवेदिका की ओर से प्रा० पत्र अंतर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० विपक्षीगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रा० पत्र में वर्णित तथ्यों से विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित किया जाना परिलक्षित हो रहा है। आवेदन में वर्णित तथ्य इस प्रकार हैं जिनके विषय में सही तथ्य पुलिस द्वारा अन्वेषण कराये जाने से ही प्रकाश में आ सकते हैं। मामले में पुलिस द्वारा अन्वेषण कराये जाने हेतु आधार पर्याप्त है। आवेदिका की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–१५६।३। दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है थानाध्यक्ष को० भिनगा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के प्रकाश में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विधि अनुसार विवेचना किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।